डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No.2020/HQ/Admin/RTI-713 **New Delhi, Dated: 04.11.2020**

श्री आशीष पाण्डेय
अधिवक्ता, उच्च न्यायालय
896/8, निकट गाँधी आश्रम भवन
रामेश्वरपुरी, बस्ती-227001
उत्तरप्रदेश
मो.-8853199227

विषय: प्रथम अपील आवेदन का निस्तारण ।

संदर्भ: आपका प्रथम अपील आवेदन दिनांक 28.10.2020, जो अपीलीय प्राधिकारी, DFCCIL के कार्यालय में दिनांक 03.11.2020 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त संदर्भित प्रथम अपील आवेदन, जो निर्धारित समय सीमा के भीतर जन सूचना अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में है, उस पर उपलब्ध तथ्यों के अनुसार विचार किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत आपका दिनांक 15.09.2020 का आवेदन पत्र, जो भारतीय डाक विभाग के माध्यम से भेजा गया था, वह जन सूचना अधिकारी, DFCCIL के कार्यालय में दिनांक 23.09.2020 को प्राप्त हुआ। मांगी गई सूचना केंद्रीयकृत रूप में उपलब्ध नहीं होने के कारण, उसे जन सूचना अधिकारी, DFCCIL द्वारा संबंधित अधिकारी/विभाग से एकत्र की गई। तत्पश्चात, उसे इस कार्यालय के पत्र संख्या 2020/HQ/Admin/RTI-713 दिनांक 21.10.2020 के द्वारा भारतीय डाक विभाग के स्पीड पोस्ट से आपके उपलब्ध पते पर भेज दिया गया, जो कि निर्धारित समय सीमा के अन्दर था । आपको भेजे गए पत्र कि प्रति सूचना सहित पुनः स्पीड पोस्ट से प्रेषित कि जा रही है। आशा है कि आप उपरोक्त स्थिति से सहमत होंगे।

संलग्न: 02 पेज

4/11/2020

आर. पी. छिब्बर
समूह महाप्रबंधक / प्रशासन
(अपीलीय प्राधिकारी)

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2020/HQ/Admin/RTI-713 **New Delhi: 21.10.2020**

श्री आशीष पाण्डेय
अधिवक्ता, उच्च न्यायालय
896/8, निकट गाँधी आश्रम भवन
रामेश्वरपुरी, बस्ती-227001
उत्तरप्रदेश
मो.-8853199227

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना ।

संदर्भ: आपका RTI आवेदन दिनांक 15.09.2020, जो DFCCIL कार्यालय में दिनांक 23.09.2020 को प्राप्त हुआ था ।

उपरोक्त RTI आवेदन के संदर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त जानकारी इस प्रकार है।

क्रं सं.	मांगी गई सूचना	उपलब्ध सूचना
1	आपका RTI आवेदन दिनांक 15.09.2020	मांगी गई सूचना DFCCIL के वेबसाइट के निम्न लिंक पर उपलब्ध है: https://dfccil.com/upload/DFCC_DOMESTIC_PANEL_2019-2021_M392.pdf
2		DFCCIL के इलाहाबाद इकाई कार्यालय से प्राप्त लिखित सूचना के अनुसार, पिछले 02 वर्षो में 12 मामलों में DFCCIL को पक्षकार बनाया है।
3, 4 एवं 6		मांगी गई सूचना स्पष्ट नहीं है।
5		मांगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 कि धारा 8 (1) (j) के अंतर्गत नहीं दी जा सकती है
7		मांगी गई सूचना संलग्न है (01 पृष्ठ) ।

आशा है कि उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है;

सुश्री आर. पी. छिब्बर
समूह महा प्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
5 वीं मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्नक: 01 पृष्ठ

(एस. के. राय)
उप महा प्रबंधक /प्रशा. (ज.सू.अ.)
E-mail: skroy@dfcc.co.in
011-23454707

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No.HQ/CS/Law/Empanelment/8/1

Dated: 24.06.2019

All CGMs,
EDFC & WDFC.

Sub: Engagement of Advocate/Law Firms for Contesting cases representing DFCCIL.

Please find enclosed the notification dated 24.06.2019 regarding Empanelment of Law firms and Advocates for representing DFCCIL in court cases and other allied legal matters. The terms and condition of their engagement and details of the Law Firms and Advocates empanelled for various court locations is enclosed at the Annexure A & Annexure 1 to 11.

It is advised to all concerned units/offices that on those court locations where we have an Advocates' panel of DFCCIL, the cases should only be entrusted to the panel Advocate. In the absence of DFCCILs panel, the panel of concerned Zonal Railway may be utilized. However as a last resort competent authority may take the services of other local Advocates but only at the DFCCIL prescribed fee schedule as per the extant rules.

Further, it is advised that existing cases may be withdrawn from the non-panel advocates and equitably distributed amongst the newly empanelled Advocates. The fee bills of the non-panel advocates may be settled at the earliest. A confirmation of re-allotment of cases, if any, may be advised to the Corporate Office by 31.07.2019. Clarifications required, if any, may be addressed to the corporate office.

(Vikas Kumar Sinha)
GM/Law

विकास कुमार सिन्हा/VIKAS KUMAR SINHA
महाप्रबंधक /विधि/General Manager /LAW
डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd
भारत सरकार (रेल मंत्रालय)का उपक्रम
A Govt of India (Ministry of Railways)Enterpris